है, इसमें कोई संदेह नहीं हैं, लेकिन यदि इस बात का विश्वास हो कि अमुक समय तक यह बिल पेश कर दिया जाएगा, तो समस्या खत्म हो जाएगी।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, आपके ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप ठहरिए, मैं इन्हें डिक्टेट तो नहीं कर सकता ...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, हम आपकी बात का पूरी तरह से आदर करेंगे और मुझे इस संबंध में यह कहना है मि हम जल्द-से-जल्द इसे लाने की कोशिश करेंगे।

Re. Letter received by the Minister of Finance from two Members of Parliament pleading the case of ITC on a tax matter

श्री सभापति: ठीक है ...(व्यवधान)... एक मिनट, आप बैठिए ...(व्यवधान)... एक मिनट बैठिए ...(व्यवधान)... सारी महिलाएं अपनी ही पैरवी कर रही हैं, कोई हमारी भी तो पैरवी करो ...(व्यवधान)... बैठिए, बैठिए।

आपका एक नोटिस मुझे मिला है। नोटिस यह मिला है, उसका सब्जेक्ट मैटर मैं पढ़ कर सुना देता हूं, जो आप सुनाएंगे "The Finance Minister has revealed that two Members of Parliament of the NDA had written to him pleading the case of ITC on a tax matter involving hundreds of crores of rupees losts to the exchequer." आप उनके नाम चाहते हैं, यही है न! मैं एक बात को दोहरा दूं। पार्लियामेंट के मैम्बर्स हों, असेम्बली के मैम्बर्स हों या पब्लिक के आदमी हों, वे अपनी-अपनी ओपिनियन मंत्रियों को भी देते हैं और सरकारी अधिकारियों को भी देते हैं। अब मंत्रियों को किसने क्या opinion दिए इस बारे में, कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए या किसी प्रकार का लैटर लिखने के पीछे दूसरा मंतव्य है, तब तो वह आपत्तिजनक है। यदि सुझाव है ...(व्यवधान)... एक मिनट सुन लें, अगर सुझाव है तो वह आपत्तिजनक नहीं है। अब आपने यह प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन इसके बाद यह होगा कि कोई भी मेंबर लेटर लिखेगा तो सदन का कोई भी सदस्य खड़ा होकर कह सकता है कि उस लेटर की कॉपी सदन की मेज पर रख दी जाए, कोई मोटिव भी इम्प्यूट कर सकते हैं। इसलिए मुझे इस पर आपत्ति नहीं है कि आप जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन इसके परिणाम जो निकलने वाले हैं, उस पर आपत्ति है।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): सिर्फ नाम बता दें।

श्री सभापति: नाम तो बता देंगे, लेकिन जब तक content मालूम नहीं होगा तब तक नाम का अपने आप में यह कुप्रसार होगा।

श्री जय राम रमेश (आन्ध्र प्रदेश): नाम भी चाहते हैं और content भी जानना चाहते हैं।

श्री सभापति: मैं दोनों बात देख लूं, उसके बाद आपको अलाउ करूंगा। मैं आपको बता दूंगा।

श्री जय राम रमेश: सर, आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि conflict of interest रूल लाया जाए। आपने राज्य सभा में एथिक्स कमेटी का गठन भी किया है और अभी लोक सभा में भी एथिक्स कमेटी का गठन हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब एक माहौल ऐसा बन रहा है कि probity is public life हो और एन॰डी॰ए॰ गठबंधन सदन का probity in public life के इश्यू पर बॉयकॉट कर रहा है। उसी के संदर्भ में जब यह खबर आयी है कि एन॰डी॰ए॰ के दो बहुत वरिष्ठ नेताओं ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री जय राम रमेश: और ऐसे मामले में सरकार के लिए 400 करोड़ की आपत्ति होने वाली तो हम यह जानना चाहते हैं कि ये दो नेता कौन हैं और इस चिट्ठी का content क्या है?

श्री सभापति: मैं आपको बता दूं कि इस चिट्ठी का content देखने के बाद माननीय सदस्य कौन हैं, इसकी जानकारी अपने आप मिल जाएगी, लेकिन मैं पहले content देखना चाहूंगा कि लेटर में क्या लिखा है।

श्री राजीव शुक्ल: सर, यह मामला कोर्ट के विवाद में है, सारा इश्यू publid domain में है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट, आप यह समझ रहे हैं कि मैं नाम छिपाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन जाए कि मेंबर कोई लेटर ही न लिखे।

श्री जय राम रमेश: सर, यह 350 करोड़ रुपए का मामला है।

श्री सभापति: ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं कहूंगा ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondidherry): Sir, the problem is that it is not clear wether they are UPA Members or the NDA Members ...(*Interruptions*). It is said that they are the Members of Parliament. He may be my friend, Shri Rajeev Shukla; it may be Shri Jairam Ramesh. That is a different thing.

श्री सभापति: ठीक है, मैंने कह दिया है, मैं पचौरी जी से बात करूंगा।

श्री जय राम रमेश: सर, यह 350 करोड़ रुपए का मामला है।

MR. CHAIRMAN: I will get the names.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): What I am telling, I am more blunt in the sense that it is a question of privilege. Though the names have not been leaked out, what I am telling right now is that some names from this House have been mentioned. It is a question of privilege of that particular Member. Even if the names have not been leaked out, I have all the right to go to you for the protection of the privilege of that particular Member whose name is being floated in the newspapers. It is for this reason that it is necessary. Otherwise, what will happen? Some of my colleagues, who may not be here, some name is there in the press. Now, it is for the protection of the privilege of that Member that I may have to approach you. It is the privilege of that Membmer. That is why, it is necessary.

श्री सभापति: मिस्टर मुखर्जी, मेरी सुनिए। मिस्टर मुखर्जी, मेरी सुनिए, ...(**व्यवधान**)... मेरी बात तो सुनिए। मैं इस बात को छिपाने की, दबाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I have to go..... प्रिविलेज मोशन लाऊंगा against that newspaper which has floated the names of hon. Members of this House. It is a question of privilege of our hon.colleague. If he is not here, and his name is coming in the press, with your permission, I will have to move a privilege motion against that newspaper.

श्री सभापति: गलतफहमी है ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए। मैं वही कह रहा हूं।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, नाम तो आ गया है, मुझे तो इस न्यूज पेपर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन देना पड़ेगा। How has this name been floated regarding certain issues which have been raised? This is a question of the privilege. If the hon. Member is not really involved in this, then it is a question of protecting his privilege. It is my duty to move a privilege motion against that newspaper. Sir, name of one of the hon. Members of this House, most honourable Member of this House, has been floated ...(*Interruptions*).

श्री सभापति: ठीक है। What do you want? You have already said that. Don't repeat.

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, आप जो probity के लिए विचार कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मान-मार्यादा के लिए ...(**व्यवधान**)... तो किसी का नाम taint न हो जाए।

श्री सभापति: आपको नाम मिल जाएंगे।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, let the hon. Minister give his reply ...(*Interruptions*).

SHRI JAIRAM RAMESH: Before the hon. Minister reacts, it is more than a question of names. It is a question of probity in public life, which you are championing. You are the one who started the Ethics Committee in this House. There is an Ethics Committee in the other House. The whole issue of boycott is on the issue of probity. Let us strike a blow for probity. Let us have the names of two Members. Let us have the contents because as you say, Sir, इसकी परिणाम सारे सांसदों पर पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: जय राम मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि नाम प्रकट न किये जाएं।

श्री जय राम रमेश: सर, सिर्फ नाम नहीं, content क्या है?

श्री सभापति: मैं वह कन्टेंट देखना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री जय राम रमेश: सर, यहां पर कन्टेंट की क्या ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: वह माननीय मंत्री दिखाएं तो सबसे बड़ी बात है। ...**(व्यवधान)**... मुझे पहले वह लेटर दिखा दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, महारथी हैं। ...**(व्यवधान)**... सर, राजनीति का कोई महारथी है ... **(व्यवधान)**...

श्री सभापति: हां, वह ठीक है। ...**(व्यवधान)**... हो गया, हो गया। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, उनकी इज्जत का ख्याल हमको करना है। ...**(व्यवधान)**... अगर यह सच नहीं है, इतने बड़े महारथी हैं, उनका नाम आ रहा है हम देख रहे हैं और हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: हां, वह ठीक है। चलिए, चलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी: हम तो अपना काम करेंगे न, सर। I must do my duty ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat ...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, unless they are tainted, I don't want to call them tainted ...(*Interruptions*)...

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने आई॰टी॰सी॰ के मामले में, माननीय वित्त मंत्री जी ने उस सदन में जो जिक्र किया था, उससे संबंधित कुछ जानकारी, आपके माध्यम से, सरकार से चाही है। पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही, उसको उद्धृत करना चाहूंगा, ताकि जैसा आपने निर्देशन दिया, वह स्पष्ट हो गया। वित्त मंत्री जी ने कहा, "In fact, two very respected leaders of the NDA have written to the Government that Ordinance is an unjust Ordinance and should be withdrawn. Two very respected leaders of the Opposition have said that the Ordinance should be withdrawn. Had we acted on their advice and withdrawn the Ordinance, we would have lost Rs. 800 crores. We have collected Rs. 350 crores, and, all that ...(*Interruptions*)...And, further, he said, I am willing to share with the Leader of the Opposition the names of the two respected leaders of the Opposition. एक तो जो माननीय सदस्यों को यह शंका है कि यह बारम्बार पूछा जा रहा है कि कहीं यह मेम्बर तो नहीं है, कहीं वह तो नहीं है, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने इसीलिए यह पढ़कर बताया कि जिन माननीय सदस्यों को यह शंका हो रही है, मैं सोचता हूं कि इस ओर से वह स्पष्ट है। दूसरी बात, जैसा आपने आसन्दी से निर्देशन दिया है कि वे मेम्बर कौन हैं, इसके बारे में पत्र देखने के बाद, दूसरे दिन इसकी जानकारी सदन को दे दी जाएगी। मान्यवर, मैं इस भावना से और आपके निर्देशन से माननीय वित्त मंत्री को अवगत करा दूंगा, ताकि वे पत्र आपको प्रस्तुत किए जाएं और वह पत्र देखने के बाद सदन को अवगत करा दिया जाए कि जिन मेम्बर्स का जिक्र किया जा रहा था, वे कौन हैं?

श्री सभापति: थैंक यू। स्पेशल मेंशन्स। ...(**व्यवधान**)...

श्री जय राम रमेश: किस सदन के हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप क्यों चक्कर में पड़ते हैं? ...(**व्यवधान**)... क्यों चक्कर में पड़ते हैं? मैं आपको बताऊं कि यह दोतरफा हथियार है। ...(**व्यवधान**)... आप इसको आसानी से मत लें। आप किसी-न-किसी पॉलिसी के मामले में कुछ लिखते हैं और पॉलिसी में परिवर्तन होने से इकोनॉमिक लॉस होता है, गेन होता है। यह मोटिव इम्प्यूट किया जा सकता है। Don't take it easy ...(*Interruptions*)...

श्री जय राम रमेश: सर, यह पॉलिसी का मामला नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं, किसी पॉलिसी का मैटर हो, मिस्टर जय राम, अगर मैं किसी पॉलिसी के मामले में लिखूं कि अमुक प्रकार की पॉलिसी में चेंज किया जाए, जो एक्जिस्टिंग पॉलिसी है, उससे 7 हजार करोड़ रुपए आते हैं और मेरे चेन्ज होने से 15 हजार करोड़ आते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसको मैं माननीय सदस्यों से, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, नाम प्रकट किए जाएं,

इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन यह एक ऐसी दोधारी तलवार है, जिसको MPs आज अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि किसी का लेटर आ जाएगा, तो पकड़े जाएंगे। नेक्स्ट। स्पेशल मेंशन्स ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, यह तो ओपेन होना चाहिए। चिट्ठी के ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: चिट्ठी मैं दे दूंगा।...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: वह बात नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं आपकी बात समझ गया।...(व्यवधान)... Please leave it. Please leave this question here. ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर मैं कोई भी ऐसी चिट्ठी मंत्री को लिखूंगा, उसको मैं किसी वजह से पब्लिक न कर पाउं, ऐसी, चिट्ठी हमारी पार्टी का कोई एम०पी० नहीं लिख सकता।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं आपका नहीं कर रहा हूं। मैं किसी का ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: मैं कह रहा हूं कोई भी चिट्ठी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपने अपनी तरफ से सफाई में कह दिया।...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, we are in the Public life; whatever we speak to the Ministers, सबके सामने है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं आपको एक बात और बता दूं।...(व्यवधान)... दीपांकर जी, गुस्से में मत कहिए।...(व्यवधान)... ये मेम्बर्स हैं। आपको बता दूं। ये राज्य सभा के मेम्बर हैं, चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने वाले लोगों के पास उनकी कंस्टिच्युन्सी के कितने लोग आते हैं और वे किस प्रकार की बाते कहते हैं, आप थोड़ा उसका अंदाज लगाइए। मैं किसी को छिपाने के लिए, इससे करप्शन रुकता हो, उसको दबाने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इस तरह की स्थिति बन गई तो मैं फिर कभी ऐसी बात कहूंगा, मैं अभी इसे छोड़ता हूं।...(व्यवधान)... अब आप बैठ जाइए।

श्री राजीव शुक्ल: सर, किसी पार्टिकुलर कम्पनी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अब छोड़िए पार्टिकुलर कम्पनी का, मुझे है, कइयों का।...(व्यवधान)... चलिए, नेक्स्ट। स्पेशल मेंशन्स। श्री जनार्दन पुजारी।